केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032

सं.सी-27013/01/2014 -हिन्दी/3016 दिनांक: 13.01.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 76वीं बैठक का कार्यवृत्त।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 76वीं बैठक सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 29.12.2015 को "परिवेश भवन" के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न है। अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को सूचनार्थ, टिप्पणी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जा रहे हैं।

(परमानन्द शर्मा)
हिन्दी अधिकारी

सेवा में,

.....

समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. उप-निदेशक (राजभाषा), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, नई दिल्ली-110003
2. उप-निदेशक (कार्या.), केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली . 110023
3. महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स.वाई. 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली - 23
4. अध्यक्ष के निजी सचिव
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. प्रभारी, आंचलिक कार्यालय-लखनऊ, भोपाल, वड़ोदरा, बेंगलुरू, कोलकाता, शिलांग और परियोजना कार्यालय-आगरा
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.प्रभाग - कृपया इस कार्यवृत्त को केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड करवायें।

(परमानन्द शर्मा)
हिन्दी अधिकारी

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 29.12.2015 को आयोजित 76वीं बैठक का कार्यवृत्त

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय बोर्ड की 76वीं बैठक दिनांक 29.12.2015 को डा. ए.बी. अकोलकर, सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में 'परिवेश भवन' के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध में दी गई है।

सदस्य सचिव महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए हिन्दी अधिकारी से बैठक की कार्रवाई शुरू करने को कहा। हिन्दी अधिकारी ने सभी सदस्यों के स्वागत के साथ सदस्य सचिव महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची के विभिन्न मदों पर चर्चा प्रारम्भ की। हिन्दी अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार राजभाषा समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जानी अपेक्षित है। यह दिसम्बर, 2015 को समाप्त तिमाही की बैठक है। सदस्य सचिव महोदय ने कहा कि अगली बैठक 31 मार्च, 2016 से पहले आयोजित की जाय।

मद सं. 2 : पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

हिन्दी अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में सदस्य सचिव महोदय ने निदेश दिए थे कि मुख्यालय और आंचलिक कार्यालयों के लिए विभिन्न हिन्दी के पदों के सृजन के संबंध में प्रशासन अधिकारी (कार्मिक) इस मामले को मंत्रालय के साथ चर्चा के लिए तैयार लंबित मामलों की सूची में सम्मिलित करें और वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी इस मामले पर यथाशीघ्र कार्रवाई करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के सलाहकार (सी.पी.) को पत्र लिखकर उनसे बैठक की तिथि व समय देने का अनुरोध करें। इस संबंध में वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी ने अवगत कराया है कि उन्होंने इस विषय पर बैठक हेतु मंत्रालय को पत्र भेजा और अनेक बार व्यक्तिगत रूप से अनुरोध भी किया किन्तु अभी तक मंत्रालय से सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सदस्य सचिव महोदय ने कहा कि इस तरह पत्र और अनुस्मारक भेजने से कार्य नहीं कराये जा सकते। प्रशासन अनुभाग (भर्ती) और प्रशासन अनुभाग (कार्मिक) समय-समय पर मंत्रालय में जाकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके फाइल प्रस्तुत करायें, तभी काफी समय से लंबित इस मामले पर सकारात्मक कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन अधिकारी (कार्मिक) ने कहा कि वे लंबित मामलों पर शीघ्र मंत्रालय से बैठक कर रहे हैं, जिसमें हिन्दी पदों से संबंधित मामलों पर विशेष बल दिया जाएगा।

समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में सदस्य सचिव महोदय ने हिन्दी प्रगति की छमाही/तिमाही रिपोर्टों में दर्शाये जाने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता/प्रमाणिकता पर विशेष ध्यान देने के निदेश दिए ताकि मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग व 'नराकास' को सही व सटीक आंकड़े भेजे जा सकें। यद्यपि हिन्दी अनुभाग विभिन्न प्रभागों और प्रेषण कक्ष से प्राप्त आंकड़ों को संकलित करके हिन्दी प्रगति की तिमाही अथवा छमाही रिपोर्ट तैयार करता है और समय-समय पर आंकड़ों की जांच भी करता है, तथापि, अभी भी सही व सटीक आंकड़ों की विश्वसनीयता पर नजर रखने की आवश्यकता है। हिन्दी अधिकारी ने इस संबंध में यह सुझाव दिया कि प्रत्येक अनुभाग/प्रभाग प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रभाग से प्रेषित किए जाने वाले पत्र/परिपत्र/आदेश/निर्देश राजभाषा नियमों के अनुसार जारी हो रहे हैं। हाल ही में वायु प्रयोगशाला के प्रभारी डा. डी.साहा ने हिन्दी में कार्य करने को बढावा देने के उद्देश्य

से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से एक परिपत्र जारी करके अनुरोध किया कि वे सभी प्रपत्र हिन्दी में ही भरकर प्रस्तुत करें। जिसका काफी असर हुआ। यदि अन्य सभी प्रभाग प्रभारी भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को परिपत्र जारी कर यह निर्देशित करें कि प्रभाग में राजभाषा नियमों के अनुसार सभी परिपत्र/आदेश द्विभाषी अथवा हिन्दी में प्रस्तुत करें और हिन्दी भाषी राज्यों में केवल हिन्दी में पत्र-व्यवहार करें तो हिन्दी प्रगति में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। बैठक में उपस्थित पी.ए.एम.एस. प्रभारी, डा. आर.एम. भारद्वाज ने सुझाव दिया कि प्रत्येक अनुभाग/प्रभाग में एक रजिस्टर रखा जाय, जिसमें उस अनुभाग/प्रभाग द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों और भेजे गए पत्रों का ब्यौरा रखा जाय। इससे वास्तविक आंकड़े आसानी से ज्ञात हो सकते हैं। प्रशासन अधिकारी (कार्मिक) ने प्रेषण कक्ष में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के लिए नियमानुसार अलग से डायरी रजिस्टर बनाये जाने को कहा। इससे हिन्दी में प्राप्त पत्रों और संबंधित अनुभाग/प्रभाग से भेजे जाने वाले उनके उत्तरों की वास्तविक जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। सदस्य सचिव महोदय ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की और निदेश दिए कि कथित परिपत्र का प्रारूप तत्काल सभी प्रभाग प्रभारियों को उपलब्ध करायें और निदेश दिए कि आंकड़ों में किसी भी प्रकार की टेम्परिंग सहन नहीं की जाएगी। अत: भविष्य में सभी रिपोर्टों में वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए जांय।

मद सं. 3 : 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा

समिति को सूचित किया गया कि उपर्युक्त अवधि की हिन्दी प्रगति की तिमाही रिपोर्ट तैयार कर अध्यक्ष महोदय से विधिवत हस्ताक्षर करवाकर पर्यावरण मंत्रालय और राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेज दी गई है। तिमाही रिपोर्ट के अनुसार इस तिमाही में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत 76 आदेश जारी किए गए, जो सभी द्विभाषी अथवा हिन्दी में जारी किए गए। "क" क्षेत्र में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत 68%, "ख" में 68% और "ग" क्षेत्र में 63% रहा। मुख्यालय के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली लागू कर दी गई है, जिसके माध्यम से काफी कार्य हिन्दी में करना संभव हुआ है। हिन्दी अधिकारी ने अवगत कराया कि हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय से संयुक्त सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके साथ राजभाषा विभाग के सचिव का पत्र संलग्न किया गया है। जिसमें यह सूचित किया गया है कि सभी परिपत्र, सामान्य आदेश, ज्ञापन आदि हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी किए जांय और 'हिन्दी अनुवाद बाद में भेजा जाएगा' की प्रथा समाप्त की जाय। पत्र द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि अर्धशासकीय पत्र भी हिन्दी में भेजे जांय। इस पत्र को संलग्नकों सहित सभी प्रभाग प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा गया है। आशा है सभी प्रभागों में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सदस्य सचिव महोदय ने मंत्रालय के निदेश का सभी प्रभाग प्रभारियों से अनुपालन करने को कहा।

मद सं. 4 : आंचलिक कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण

समिति को सूचित किया गया राजभाषा नीति और ततसंबंधी आदेशों के अनुपालन में श्री आर.डी. पान्डे, प्रशासन अधिकारी और श्री ओमदास, वरिष्ठ अनुवादक ने दिनांक 24.08.2015 को आंचलिक कार्यालय-शिलांग का और दिनाक 27-28 अगस्त, 2015 को आंचलिक कार्यालय-कोलकाता का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया। तदपश्चात दिनांक 26.10.2015 से 29.10.2015 तक श्री आर.डी. पान्डे, प्रशासन अधिकारी और हिन्दी अधिकारी ने आंचलिक कार्यालय-वड़ोदरा का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया। इस दौरान आंचलिक कार्यालयों के कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी विभिन्न आदेशों की जानकारी दी गई। हर तिमाही में राजभाषा समिति की बैठक आयोजित करने, तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार कर संबंधित राजभाषा विभाग के कार्यालय को भेजने और यूनिकोड का अधिक से अधिक

उपयोग सुनिश्चित कर हिन्दी कार्य को बढावा देने के सुझाव दिए गए। निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से तीनों आंचलिक कार्यालयों को आवश्यक सुझाव दिए गए। तीनों आंचलिक कार्यालयों में हिन्दी के कोई भी पद नहीं हैं, जिसके कारण कार्यालय के अनुवाद/टंकण संबंधी कार्य करने और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में बाधा आ रही है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से तीनों आंचलिक कार्यालयों को सलाह दी गई कि जब तक नियमित हिन्दी पदों की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हिन्दी अनुवाद/टंकण के लिए आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की व्यवस्था की जाय। सदस्य सचिव महोदय ने हिन्दी अधिकारी को इन कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु मुख्यालय से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया और प्रशासन अनुभाग (भर्ती) को इन कार्यालयों के लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत हिन्दी पदों को मंत्रालय से व्यक्तिगत रूचि लेकर यथाशीघ्र सृजित करवाने के निदेश दिए।

मद सं. 5 : 'परिवेश मंथन' पत्रिका के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के संबंध में चर्चा

समिति को सूचित किया गया कि सदस्य सचिव महोदय के निदेशानुसार 'परिवेश मंथन' पत्रिका के लिए विभिन्न राज्य बोर्डों/समितियों, आंचलिक कार्यालयों और मुख्यालय के विभिन्न तकनीकी प्रभागों से शोध लेख आमंत्रित किए गए। काफी समय बीत जाने पर भी मात्र 04 लेख ही प्राप्त हुए, तो पुन: सभी हिन्दी भाषी राज्य बोर्डों, आंचलिक कार्यालयों और मुख्यालय के विभिन्न प्रभाग प्रभारियों को लेख भेजने हेतु अनुस्मारक जारी किया गया। फिर भी लेख प्राप्त नहीं हुए। इस बीच हिन्दी अनुभाग द्वारा मुख्यालय में 'हिन्दी दिवस' के अवसर पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख प्रतियोगिता आयोजित की गई और कर्मचारियों से 08 लेख प्राप्त हुए। जिनमें से 05 लेखों को पुरस्कृत किया गया। चूंकि प्राप्त लेख वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों से संबंधित हैं। हिन्दी अधिकारी ने अनुरोध किय कि इन लेखों को 'परिवेश मंथन' पत्रिका के लिए शामिल किया जाय। इन लेखों को पत्रिका में प्रकशित करने से पहले इनकी संपादक मंडल द्वारा जांच की जायेगी। हिन्दी अधिकारी ने कुल 12 लेखों के संकलन की एक प्रति सदस्य सचिव महोदय को प्रस्तुत की। वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, श्री जुगेश कुमार ने लेखों के संकलन में कुछ कविताओं का समावेश करने का सुझाव दिया। सदस्य सचिव महोदय ने इस सुझाव को इस आशय से स्वीकार नहीं किया कि इससे पत्रिका की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि संकलन में राज्य बोर्डों से प्राप्त लेखों का समावेश अवश्य किया जाना चाहिए। इसलिए 'परिवेश मंथन' के लिए गठित संपादकीय मंडल के सदस्य और प्रभारी, ई.एस.एस., श्री एन.के. गुप्ता को हिन्दी भाषी राज्य बोर्डों के सदस्य सचिवों से सीधे वार्तालाप करके पत्रिका हेतु लेख प्राप्त करने और पत्रिका के प्रथम संस्करण को अगले दो माह के अंदर अंतिम रूप देने का उत्तरदायित्व सौंपा। हिन्दी अधिकारी ने लेख भेजने वाले व्यक्तियों को मानदेय/प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव रखा। सदस्य सचिव महोदय ने बाहरी निकायों के लेखकों को उत्कृष्ट लेख हेतु मानदेय दिए जाने पर सहमति व्यक्त की और कहा कि मानदेय/प्रोत्साहन पर बाद में विचार किया जाएगा।

अंत में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक विसर्जित की गई।

*****

अनुबंध

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय बोर्ड की 76वीं बैठक में सदस्यों की उपस्थिति

1.	डा. ए.बी. अकोलकर	-	अध्यक्ष
2.	श्री ए. सुधाकर	-	सदस्य
3.	श्री एस.के. त्यागी	-	सदस्य
4.	श्री बी.के. जखमोला	-	सदस्य
5.	श्री राजेन्द्र मोहन भारद्वाज	-	सदस्य
6.	श्री एम.एन. मोहनन	-	सदस्य
7.	श्री नलिन कुमार गुप्ता	-	सदस्य
8.	श्री संतलाल गुन्दली	-	सदस्य
9.	श्री सुनील दवे	-	सदस्य
10.	श्री जुगेश कुमार	-	सदस्य
11.	श्री राम दत्त पान्डे	-	सदस्य
12.	श्री पी.के. बेहेरा	-	सदस्य
13.	श्री जी. गणेश	-	सदस्य
14.	श्री संजय कुमार	-	प्रतिनिधि सदस्य
15.	श्री उवैद अहमद अंसारी	-	प्रतिनिधि सदस्य
16.	श्रीमती हेमलता रहेजा	-	प्रतिनिधि सदस्य
17.	श्रीमती रजनी अरोड़ा	-	प्रतिनिधि सदस्य
18.	श्रीमती मीतू पुरी	-	प्रतिनिधि सदस्य
19.	श्री ओमदास	-	हिन्दी अनुभाग
20.	श्रीमती चारू जयसवाल	-	हिन्दी अनुभाग
21.	श्री परमानन्द शर्मा	-	सदस्य संयोजक